-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 08.04.2024

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

★ **लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत की जा रही कार्यवाही के क्रम में बांदा पुलिस को मिली बड़ी सफलता । थाना कालिंजर पुलिस द्वारा लगभग 23 लाख रुपये अन्तर्राष्ट्रीय कीमत की अवैध चरस के साथ 01 अन्तर्राज्यीय तस्कर को किया गया गिरफ्तार ।**

★ **अभियुक्त द्वारा द्वारा असम से अवैध चरस लाकर बांदा व म0प्र0 के सतना जनपदों में लम्बी दूरी के ट्रक ड्राइवरों को की जाती थी अवैध चरस की बिक्री । अभियुक्त पर म0प्र0 में मादक पदार्थों की तस्करी व अवैध शस्त्रों के संग्रहण के संबंध में दर्ज हैं कई मामले ।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में लोकसभा चुनाव-2024 को सकुशल एवं निष्पक्ष रुप से सम्पन्न कराये जाने तथा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध की जा रही कड़ी कार्यवाही के क्रम मे अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री लक्ष्मी निवास मिश्र के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी नरैनी श्रीमती अंबुजा त्रिवेदी के निकट पर्यवेक्षण में थाना कालिंजर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली । पुलिस द्वारा लगभग 23 लाख रुपये अन्तर्राष्ट्रीय कीमत की अवैध चरस बरामद की गई है । गौरतलब हो कि दिनांक 07/08.04.2024 की रात्रि थाना कालिंजर पुलिस लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत बांदा-सतना(म0प्र0) अन्तर्राज्यीय बैरियर पर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी कि इसी दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से अवैध चरस बिक्री हेतु बांदा की ओर ला रहा है । सूचना पर पुलिस द्वारा सतना की ओर से आते हुए मोटरसाइकिल सवार को रोकने का प्रयास किया गया तो वह मोटरसाइकिल से तेजी से बांदा की ओर भागने लगा । पुलिस द्वारा तत्परता पूर्वक घेरकर उसे पकड़ लिया गया । गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी में उसके पास से 325 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई जिसकी अन्तर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 23 लाख रुपये आंकी जा रही है । गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि वह असम राज्य से अवैध चरस लाता था तथा बांदा, सतना और आस-पास के जनपदों में ढ़ाबों पर खड़े होकर लम्बी दूरी जाने वाले ट्रक ड्राइवरों को उसकी बिक्री करता था ।

बरामदगी-

- 375 ग्राम अवैध चरस (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 23 लाख रुपये)
- अवैध चरस की तस्करी में प्रयुक्त मोटरसाइकिल TVS MP19MZ7206

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. सिद्धू चौधरी पुत्र बुद्धा चौधरी निवासी पिथोराबाद थाना नागौद जनपद सतना (म0प्र0)

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0- 68/24 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कालिंजर जनपद बांदा

आपराधिक इतिहास अभियुक्त सिद्धू चौधरी उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 381/20 धारा 1950[34(2)] म0प्र0 आबकारी अधिनियम थाना कोतवाली जनपद सतना म0प्र0
2. मु0अ0सं0 233/18 धारा 294/323/506/34 भादवि थाना बागली जनपद देवास म0प्र0
3. मु0अ0सं0 94/19 धारा 392/395 भादवि थाना उचेहरा जनपद सतना म0प्र0
4. मु0अ0सं0 167/19 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट थाना उचेहरा जनपद सतना म0प्र0
5. मु0अ0सं0 139/15 धारा 294/323/327/506/34 भादवि थाना नागौद जनपद सतना म0प्र0
6. मु0अ0सं0 130/13 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना गोविन्दगढ़ जनपद रीवा म0प्र0

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण-</u>

1. थानाध्यक्ष कालिंजर श्री जयचन्द्र सिंह
2. उ0नि0 श्री मणिशंकर मिश्रा
3. कां0 सत्यम गुर्जर
4. कां0 खेमराज सिंह
5. कां0 धीरेन्द्र सिंह